बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या– पी0पी0एम0–01/2017– 4410 /कृ0,पटना, दिनांक 14-11-,2017

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रुप द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+) से परामर्शित।

विषय : **वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2018–19 तक राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य) अंतर्गत राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु स्वीकृत राशि के विरूद्ध 2016–17 के लिए स्वीकृत राशि के अधीन अव्यवहृत अवशेष राशि में से वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल 2326.9248 लाख रूपये (तेइस करोड़ छब्बीस लाख बानवे हजार चार सौ अस्सी रूपये) {(केन्द्रांश 1396.15488 लाख रूपये एवं राज्यांश 930.76992 लाख रूपये)} के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की स्वीकृति।**

आदेश – स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2018–19 तक राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य) अंतर्गत राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु स्वीकृत राशि के विरूद्ध 2016–17 के लिए स्वीकृत राशि के अधीन अव्यवहृत अवशेष राशि में से वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल 2326.9248 लाख रूपये (तेइस करोड़ छब्बीस लाख बानवे हजार चार सौ अस्सी रूपये) {(केन्द्रांश 1396.15488 लाख रूपये एवं राज्यांश 930.76992 लाख रूपये)} के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. भारत सरकार के पत्रांक–1–4/2016–RKVY दिनांक–04.01.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में अवशेष राशि 926.00 लाख रूपये को वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए पुनर्वैधीकृत किया गया था एवं इस राशि को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य) अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए विमुक्त किया गया था। उक्त राशि में से राज्यादेश संख्या–1449 दिनांक–29.03.2017 द्वारा कुल 140.40 लाख रूपये स्वीकृत किया गया था। अवशेष राशि 785.60 लाख रूपये केन्द्रांश की राशि पूर्व में निकासी कर निदेशक बामेती के स्तर पर उपलब्ध है। उसका समानुपातिक राज्यांश की निकासी की जायेगी।

3. भारत सरकार के पत्रांक–7–1/2016–RKVY दिनांक–22.09.2016 द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य) में केन्द्रांश 16112.00 लाख रू० एवं राज्यांश 10741.00 लाख रू० कुल 26853.00 लाख रू० अंतिम उद्व्यय संसूचित किया गया था। इसके आलोक में विभागीय पत्र संख्या–5161 दिनांक–07.12.2016 के द्वारा कृषि विभाग के लिए केन्द्रांश 11582.00 लाख रू० एवं राज्यांश 7721.00 लाख रू० कुल 19303.00 लाख रू० कर्णांकित किया गया है। भारत सरकार के पत्रांक–1–4/2016–RKVY दिनांक–04.01.2017 द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य) के लिए प्रथम किस्त के रूप में केन्द्रांश मद में 4505.50 लाख रू० विमुक्त किया गया है साथ ही वर्ष 2014–15 की अवशेष राशि 926.00 लाख रूपये को वर्ष 2016–17 के लिए पुनर्वैधीकृत किया गया है।

E:\ABHINAV\2017-18\RKVY Balance Farm.docx

4. विभागीय पत्र संख्या–70 दिनांक–09.01.2017 के द्वारा कृषि विभाग के लिए केन्द्रांश मद में 3239.00 लाख रू० कर्णांकित किया गया था। उक्त कर्णांकन के आलोक में राज्यादेश संख्या–5056 दिनांक–30.11.2016 द्वारा कुल 5303.652 लाख रूपये (तिरपन करोड़ तीन लाख पैंसठ हजार दो सौ रूपये) (केन्द्रांश 2677.5912 लाख रूपये, राज्यांश 1785.0608 लाख रूपये एवं राज्य योजना 841.00 लाख रूपये) के कार्यक्रमों के कार्यान्वियन की स्वीकृति दी गई थी। स्वीकृत राशि में से केन्द्रांश मद में कुल 610.55488 लाख रूपये अवशेष रह गया है।

5. केन्द्रांश मद की अवशेष राशि कुल 610.55488 लाख रूपये तथा निदेशक बामेती के स्तर पर उपलब्ध अवशेष केन्द्रांश की राशि 785.60 लाख रूपये एवं इसकी समानुपातिक राज्यांश की निकासी कर योजना का कार्यान्वियन किया जायेगा।

6. भारत सरकार के पत्रांक 7–3/2017–आर.के.वी.वाई. दिनांक–03.11.2017 के द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 की अव्यवहृत अवशेष राशि को उन्ही कार्यक्रमों पर नवम्बर, 2017 तक व्यय करने हेतु पुनर्वैधीकृत किया गया है।

7. इस योजना का मुख्य उद्देश्य राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों में आधारभूत संरचना के विकास एवं सुदृढ़ीकरण कर राज्य में फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करना है। कार्यक्रम के फलस्वरूप राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों में गुणवत्तायुक्त बीज उत्पादन एवं बीज प्रतिस्थापन दर में वृद्धि होगी।

8. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य) अंतर्गत राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण हेतु कार्यक्रम निम्न प्रकार है:– (राशि लाख रूपये में)

क्र०	कार्यक्रम	इकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू० में)
1	चाहरदीवारी निर्माण	मीटर	32728	2060.25378
2	गोदाम निर्माण (200 MT)	संख्या	22	266.67102
कुल				2326.9248

9. **राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण** – वर्तमान में 36 जिलों में 241 राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों के कुल रकवा 2801 हेक्टेयर अन्तर्गत 1950 हेक्टेयर खेती योग्य रकवा में राज्य योजना से बीज उत्पादन का कार्य किया जा रहा है। राज्य के 36 जिलों में कुल 72 बीज गुणन प्रक्षेत्रों को आदर्श प्रक्षेत्रों के रूप में विकसित करने के लिए तत्काल आधारभूत संरचना का विकास यथा चाहरदीवारी एवं गोदाम निर्माण किया जायेगा। चाहरदीवारी निर्माण की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा एवं गोदाम निर्माण की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता, बिहार राज्य भंडार निगम, पटना द्वारा दी गई है। बिहार राज्य भंडार निगम, पटना द्वारा तैयार मॉडल प्राक्कलन तथा ले ऑउट प्लान के अनुसार गोदाम निर्माण किया जायेगा। मानक प्राक्कलन में हैंड ट्यूबवेल एवं शौचालय भी सम्मिलित है परन्तु हैंड ट्यूबवेल एवं शौचालय निर्माण की बाध्यता नहीं होगी। उक्त कार्यक्रम का उद्देश्य प्रक्षेत्रों को आदर्श प्रक्षेत्र के रूप में विकसित करना, प्रक्षेत्रों को किसानों के लिए प्रत्यक्षण–सह–प्रशिक्षण स्थल के रूप में विकसित करना, बीज उत्पादन एवं उत्पादकता में अपेक्षित वृद्धि लाना, बीज की गुणवत्ता में वृद्धि लाना, राज्य में नवीनतम अधिक उपजशील प्रभेद के गुणवत्तायुक्त बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करना, बीज प्रतिस्थापन दर में वृद्धि लाना एवं किसानों को बीज उत्पादन के लिए प्रेरित करना तथा बीज की उपलब्धता हेतु स्वावलम्बी बनाना है। उक्त कार्यक्रम का कार्यान्वियन अनुदेश उप निदेशक (शष्य) प्रक्षेत्र, बिहार, पटना द्वारा निर्गत किया जायेगा।

10. राज्यादेश संख्या–1179 दिनांक–15.03.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 से वित्तीय वर्ष 2018–19 तक राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य) अंतर्गत राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु कुल 14557.84 लाख रूपये (एक अरब पैंतालीस करोड़ सतावन लाख चौरासी हजार) का कार्यान्वियन एवं इसके अधीन वित्तीय वर्ष 2016–17 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य) अंतर्गत कुल 4367.352 लाख रूपये (तैतालीस करोड़ सड़सठ लाख पैंतीस हजार दो सौ रूपये) (केन्द्रांश 2620.4112 लाख रूपये एवं राज्यांश 1746.9408 लाख रूपये) के कार्यान्वियन की स्वीकृति दी

गई थी। वित्तीय वर्ष 2016–17 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य) अंतर्गत भारत सरकार से केन्द्रांश मद में द्वितीय किस्त की राशि विमुक्त नहीं होने के कारण उक्त राज्यादेश का आवंटनादेश निर्गत नहीं किया जा सका जिस कारण वित्तीय वर्ष 2016–17 में उक्त योजना का कार्यान्वयन नहीं किया जा सका।

11. अनुसूची–1 के अनुसार राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण मद में स्वीकृत राशि की निकासी कृषि निदेशक, बिहार, पटना द्वारा बी०टी०सी० फार्म–42 पर संबंधित कोषागार से की जायेगी एवं अनुसूची–2 तथा कृषि निदेशक, बिहार, पटना/उप निदेशक (शष्य) प्रक्षेत्र, बिहार, पटना के परामर्श के अनुसार संबंधित जिलों के कार्यपालक अभियंता, वर्क्स डिवीजन, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन को उनके सरकारी खाते में चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। निदेशक बामेती के स्तर पर उपलब्ध अवशेष राशि 785.60 लाख रूपये को कृषि निदेशक, बिहार, पटना/उप निदेशक (शष्य) प्रक्षेत्र, बिहार, पटना के परामर्श के अनुसार संबंधित जिलों के कार्यपालक अभियंता, वर्क्स डिवीजन, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन को उनके सरकारी खाते में चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। संबंधित कार्यपालक अभियंता, वर्क्स डिवीजन, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र मुख्य अभियंता के माध्यम से कृषि विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

12. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तावित कार्यक्रमों को राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की दिनांक 05.08.2016 की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई है।

13. उक्त योजना का कार्यान्वयन कृषि रोड मैप के लिए निर्धारित कार्यान्वयन अनुदेश तथा भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शिका के अनुसार किया जायेगा। कार्यान्वयन अनुदेश में आवश्यकता होने पर आवश्यक संशोधन प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकता है।

14. योजना अंतर्गत पुनर्वैधिकृत केन्द्रांश, जो निदेशक, बामेति के स्तर पर उपलब्ध है, का विवरण निम्न प्रकार है:–

(राशि लाख रू0 में)

1	बजट शीर्ष	पुनर्वैधीकृत राशि	स्वीकृत राशि
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (केन्द्रांश)			
(i)	सामान्य वर्ग के लाभुकों के लिए	768.58	652.048
(ii)	अनुसूचित जाति वर्ग के लाभुकों के लिए	148.16	125.696
(iii)	अनुसूचित जनजातीय वर्ग के लाभुकों के लिए	9.26	7.856
	योग	**926.00**	**785.60**

15. योजना अंतर्गत केन्द्रांश की कुल आवश्यक राशि 1396.15488 लाख रूपये है। पुनर्वैधीकृत केन्द्रांश में से कुल 785.60 लाख रूपये निदेशक बामेती के स्तर पर उपलब्ध है। अवशेष 610.55488 लाख रूपये केन्द्रांश एवं कुल केन्द्रांश के विरूद्ध समानुपातिक राज्यांश वित्तीय वर्ष 2017–18 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य) अंतर्गत राशि की निकासी निम्नाकित बजट शीर्ष से की जायेगी,

(राशि लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (केन्द्रांश)		
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00 लघु शीर्ष–109–विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण, मांग सं०–1 उपशीर्ष–0216– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०), विपत्र कोड 01–2401001090216, पी०एफ०एम०एस०कोड– 9145, विषयशीर्ष–0216. 31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	16600.00	506.76055

E:\ABHINAV\2017-18\RKVY Balance Farm.docx